

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 07(5)राज/वाद/2022 पार्ट-II

जयपुर दिनांक 05/09/2024

:: आदेश ::

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 (संशोधित नियम 2015) के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2024-25 की डीपीसी हेतु आयोजित बैठक दिनांक 30.08.2024 में की गई अभिशंषा के अनुसार निम्न सूची के कॉलम संख्या 2 में अंकित वरिष्ठ सहायकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अंकित पदोन्नति वर्ष के लिये कॉलम सं05 में अंकित रनिंग-पे ब्रेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन कर, स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-


क. सं.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	रनिंग-पे ब्रेण्ड एवं ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल
1	2	3	4	5
1	श्री सतवीर सिंह	अ.जा.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
2	श्री दलीप सिंह	ओ.बी.सी.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
3	श्री प्रदीप पारीक	सामान्य	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
4	श्री देवेन्द्र कुमार जांगिड	ओ.बी.सी.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
5	श्री विश्वेन्द्र सिंह	ओ.बी.सी.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10
6	श्री हेमन्त कुमार मीणा	अ.ज.जा.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)	9300-34800 ग्रेड-पे-3600/एल-10

उक्त कार्मिक अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार कमोन्नत/अवनत मानते हुये कार्यग्रहण कर, अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब/15 दिवस के भीतर इस विभाग को (जरिये ई-मेल/डाक) प्रेषित करेंगे, अन्यथा इसके अभाव में यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उनके द्वारा उक्त पदोन्नति का परित्याग (Forego) माना जावेगा। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा, किन्तु पूर्व में इनके द्वारा प्राप्त किये गये लाभ यथावत रहेंगे। उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

ह०
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
3. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर,.....।
5. संबंधित कोषाधिकारी,.....।
6. संबंधित कार्यालय,.....।
7. सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
8. संबंधित कर्मचारी,.....।
9. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि